तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राजस्व आवेदन संख्या 386 / 2024 अनवान लुम्भाराम बनाम चुनाराम	

आदेश

25.10.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकरतफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 835 / 750 रकबा 5.2447 हैक्टेयर व मौजा नारणोणियो की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 140 / 110 रकबा 2.4200 हैक्टेयर व मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार हल्का भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 611 / 439 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता हैं जो उचित प्रतीत होता है।

प्रकट तथ्यों के मद्देनजर आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 835 / 750 रकबा 5.2447 हैक्टेयर व मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 140 / 110 रकबा 2.4200 हैक्टेयर व मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार हल्का भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 611 / 439 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक [illegible]7.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 16:55:06 IST
Reason: SelfAttested

25/10/24
उपखण्ड अधिकारी

रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या